कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–वा.क.अधि. / वा.प्रवि. / 1402 / 2022 लखनऊ::दिनांक::अप्रैल 05, 2022

–:: परिपत्र ::–

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश की विभिन्न पीठों के अधिष्ठान में कार्यरत समूह **'ग'** (तृतीय श्रेणी) व समूह **'घ'** (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों की वर्ष **2021–2022** की वार्षिक प्रविष्टियाँ अंकित की जानी हैं।

अतः उपरोक्त हेतु आप से अपेक्षित है कि अपने अधीन कार्यरत् समूह **'ग'** (तृतीय श्रेणी) कर्मचारियों द्वारा वर्ष **2021–2022** में किए गए कार्यों के सम्बन्ध में **निर्धारित प्रारूप** (संलग्न) में उनकी **'स्वयं कार्य समीक्षा8** प्राप्त कर के उस पर अपना गोपनीय मन्तव्य व्यक्त करते हुए और समूह **'घ'** के कर्मचारियों के कार्य एवं व्यवहार के सम्बन्ध में गोपनीय मन्तव्य उन की सेवा पुस्तिका में चस्पॉ करते हुए **प्रत्येक दशा में विलम्बतम** दिनांक **18–04–2022** तक मुख्यालय **उपलब्ध** कराना सुनिश्चित करें।

समूह **'ग'** तथा समूह **'घ'** का कोई भी कर्मचारी यदि वर्तमान सदस्य के कार्यकाल में वित्तीय वर्ष **2021–2022** में तीन माह या उस से अधिक समय तक कार्यरत् रहा है, तो उस दशा में उस के सम्बन्ध में गोपनीय मन्तव्य वर्तमान सदस्य द्वारा ही व्यक्त किया जाएगा, चाहे संगत वित्तीय वर्ष के शेष माहों में वह कर्मचारी किसी ऐसे सदस्य, जो **अब** उस पीठ में कार्यरत् न हों, के अधीन कार्यरत् रहा हो।

समूह **'ग'** तथा समूह **'घ'** का कोई भी कर्मचारी यदि वर्तमान सदस्य के अधीन तीन माह की अवधि से **कम** समय के लिए कार्यरत् रहा है और इस से पूर्व तीन माह से **अधिक** समय से किसी ऐसे सदस्य के अधीन कार्यरत् रहा है, जो सम्प्रति उक्त पीठ में आसीन **न** हो कर किसी अन्य पीठ में **आसीन** हों, तो ऐसी दशा में उक्त कर्मचारी के बारे में गोपनीय मत व्यक्त करने हेतु **तुरन्त** सम्बन्धित कर्मचारी के पूर्व पीठासीन अधिकारी को **संदर्भित** कर दिया जाए। यदि पूर्व पीठासीन अधिकारी **सेवा–निवृत्त** हो गए हों और वर्तमान सदस्य के अधीन सम्बन्धित कर्मचारी तीन माह या उससे अधिक समय तक कार्यरत् **नहीं** रहा हो, तब समूह **'ग'** के उस कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस तथ्य, ***"कि अमुक सदस्य सेवा–निवृत्त हो गए हैं और उन्होंने गोपनीय मन्तव्य अंकित नहीं किया था"*** का उल्लेख करते हुए तथा समूह **'घ'** के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उन की सेवा पुस्तिका में उक्त आशय, ***"कि अमुक सदस्य सेवा–निवृत्त हो गए हैं और उन्होंने गोपनीय मन्तव्य अंकित नहीं किया था"*** का प्रमाण पत्र चस्पॉ कर के, **अग्रेतर** कार्यवाही हेतु मुख्यालय प्रेषित कर दिया जाए।

पुनश्च, समय–बद्धता का ध्यान रखते हुए संगत वर्ष **2021–2022** के लिए अपने अधीन कार्यरत् समूह **'ग'** के कर्मचारियों के कार्य एवं व्यवहार के सम्बन्ध में अपना **गोपनीय मन्तव्य** तथा समूह **'घ'** के कर्मचारियों के कार्य एवं व्यवहार के सम्बन्ध में अपना **गोपनीय मन्तव्य** उन की सेवा पुस्तिका में **चस्पॉ** करते हुए **प्रत्येक दशा में विलम्बतम** दिनांक **18–04–2022** तक मुख्यालय **उपलब्ध** कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः: यथोक्त स्वयं कार्य समीक्षा प्रपत्र।

ह0 / 05–04–2022
(जितेन्द्र कुमार सिंह),
एच.जे.एस.
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा.क.अधि. / वा.प्रवि. / 1402 / 2022 **तद्‌दिनांकित।**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को **सूचनार्थ** एवं **आवश्यक कार्यवाही** हेतु प्रेषित :–

1– निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– प्रशासनिक अधिकारी / प्रधान सहायक (मुन्सरिम) / वरिष्ठ सहायक (विवरण / कम्प्यूटर) मुख्यालय।
3– वरिष्ठ सहायक (विवरण), मुख्यालय, लखनऊ को गार्ड फाइल हेतु।

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।